न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 24/2017 (222/08)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता हाल रिंयाबडी।		1रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी पादूखुर्द तहसील रिंयाबडी जिला नागौर। 2तहसीलदार, रिंयाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश दिनांक 22.03.21

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार मेडता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 388 दिनांक 10.11.1975 जिसके द्वारा ग्राम पादूखुर्द के साबिका खसरा नं. 270 मे से रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. नाडा से गै.मु. बाडा के रूप मे आवंटन किया। इसके पश्चात् राजस्व रेकर्ड में इस आशय का अंकन जरिये नामान्तरकरण सं. 368 दर्ज हुआ। उक्त आंवटन को निरस्त करवाने एंव पुनः नाडा दर्ज करवाने के लिये दिनांक 29.12.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

1(1) प्रकरण इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का रेफरेंस स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13.02.2008 के द्वारा ग्राम पादूखुर्द के गत खसरा नं. 270 गै.मु. नाडा के वर्तमान ख.न. 270 किस्म गै.मु. नाडा रकबा 0.05 बीघा का नियमन किये जाने के सबंध में तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 388 दिनांक 10.11.1975 को एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 368 ग्राम पादूखुर्द के खसरा नं. 270 रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. नाडा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2008–27 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाया।

1(2) माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने प्रकरण संख्या – रेफरेन्स/एलआर/2658/2008/नागौर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता बनाम रामचन्द्र व अन्य में निर्णय दिनांक 19.01.2017 के अनुसार प्रकरण में वर्ष 1947 की स्थिति लाने के लिये संवत 2005 की जमाबंदी (जिससे दिनांक 15.08.1947 को आलोच्य भूमि की किस्म क्या थी? स्पष्ट करवाये जाने हेतु) पत्रावली मे रिकार्ड पर लिये जाने को लेकर रिमाण्ड किया है। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः नंबर पर ली जाकर अप्रार्थी रामचन्द्र तलब किया गया और जो बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है और वांछित सूचना मंगवाई गई। रेफरेन्स प्रकरण के साथ ग्राम पादूखुर्द की नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008–27, संवत 2030–33 एवं जमाबंदी संवत 2054–57, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण सं. 368 व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.04 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई।

2 राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

अपर कलक्टर,नागौर

2(1) संवत् 2008–27 में ग्राम पादूखुर्द के साबिका खसरा नं. 270 नया खसरा नं. 270 की किस्म भूमि गैरमुमकिन नाडा बतलाई। जिसकी पुष्टि खतौनी संवत 2008–27 ग्राम पादूखुर्द से होती है। जिसे तहसीलदार मेडता ने किस्म भूमि गै.मु. नाडा मे से गै.मु. बाडा आवंटित / नियमित कर दी। जिसकी पुष्टि खतोनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) संवत 2008–27 से होती है। तत्पश्चात तत्कालीन तहसीलदार मेडता ने गै.मु. नाडा भूमि मे से अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति जाट साकित पादूखुर्द तहसील मेडता के पक्ष मे खसरा नं. 270 रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. बाडा का आंवटन कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं. 368 स्वीकृत हुआ।

2(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि तहसीदार मेडता द्वारा नामान्तरकरण सं. 368 के अप्रार्थी रामचन्द्र के पक्ष में गै.मु. नाडा भूमि के खातेदारी अधिकार सृजित हुए है। जबकि आराजी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत मनाही है।

2(3) ग्राम पादूखुर्द का प्रथम भू प्रबन्ध संवत 2008 मे हुआ था। ऐसी स्थिति मे संवत 2008 से पूर्व की जमाबंदी अभिलेख अस्तित्व मे नही रहा है। ऐसी स्थिति मे भूमि की किस्म दिनांक 15.08.1947 को गै.मु. नाडा ही अवधारित मानी जायेगी। प्रश्नगत भूमि आधार तिथि दिनांक 15.08.47 को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी। उन्होने यह भी दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 की पालना में उक्त प्रकार की भूमि में किये गये समस्त आवंटन/नियमन एवं बेचान आदि अवैध है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

3 वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पादूखुर्द का प्रथम भू प्रबन्ध संवत 2008 मे हुआ था। ऐसी स्थिति मे संवत 2008 से पूर्व की जमाबंदी अभिलेख अस्तित्व मे नही रहा है। ऐसी स्थिति मे भूमि की किस्म दिनांक 15.08.1947 को गै.मु. नाडा ही अवधारित मानी जायेगी। प्रश्नगत भूमि की किस्म आधार तिथी 15.08.47 को गैरमुमकिन नाडा होना खतौनी संवत 2008–27 से स्पष्ट है। तत्पश्चात तहसीलदार मेडता ने किस्म भूमि गैरमुमकिन नाडा मे से गै.मु. बाडा आंवटित / नियमित कर दी। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2008–27 से होती है। तत्पश्चात तत्कालीन तहसीलदार मेडता ने अपने आदेश क्रमांक 388 दिनांक 10.11.1975 के द्वारा गै.मु. नाडा भूमि मे से अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति जाट साकिन पादूखुर्द तहसील मेडता के पक्ष मे खसरा नं. 270 रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. बाडा का आंवटन कर दिया एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 368 ग्राम पादूखुर्द के खसरा नं. 270 रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. बाडा अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति जाट साकिन पादूखुर्द के नाम अंकन किया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी रामचन्द्र के पक्ष में उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार सृजित होना अभिलेख से स्पष्ट है। नदी, गोचर, पायतन, आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/03 में दिनांक 02.08.04 को निर्णय पारित कर केचमेन्ट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाने के निर्देश दिये है। रिकार्ड के अवलोकन से गै.मु. नाडा से किस्म गै.मु. बाडा कायम किया जाना अभिलेख पर है। जबकि नाडा भूमि पानी का भराव एवं बहाव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों का कतई नियमन नहीं किया जाना चाहिये था। इससे भी आराजी भूमि केचमेन्ट एरिया होना प्रकट करती है।

4 उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र का पुनः परीक्षण के दौरान जिस आदेश से जमाबंदी में खातेदारी अधिकार सृजित हुए, उक्त आदेश विधि विरूद्व होना प्रतीत होता है। अतः ग्राम पादूखुर्द के गत खसरा नं. 270 रकबा 6.17 बीघा गै.मु. नाडा के वर्तमान ख.नं. 270 किस्म गै.मु. बाडा रकबा 0.05 बीघा गै.मु. बाडा का नियमन किये जाने के सबंध में तत्कालीन तहसीलदार मेडता के आदेश दिनांक 10.11.1975 को नियमन एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 368 ग्राम पादूखुर्द के खसरा नं. 270 रकबा 0.05 बीघा भूमि गै.मु. बाडा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2008–27 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण पुनः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

5 आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर